राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, चूरू

पीठासीन अधिकारी श्री सत्यनारायण, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	ता0 दायरा	निर्णय तिथि
62 / 2022	दावा 88 RTA	29.04.2022	21.09.2022

1. सुमन पुत्री स्वर्गीय सोहनराम पत्नी सुरेन्द्र जाति जाट निवासीनी ग्राम खांसोली तहसील व जिला चूरू हाल निवासीनी वार्ड नं. 03 सोनासर तहसील मलसीसर जिला झुंझुनु (राज.)

—वादीनी —

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब, चूरू

—प्रतिवादी —

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए.

उपस्थित — 1. अधिवक्ता श्री शिवगौतम सोलंकी वादीनी

2. पैरोकार राज उपस्थित।

निर्णय

वादीनी की ओर से दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश कर निवेदन किया कि कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर 1147 / 1102 तादादी 3.4652 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम खांसोली तहसील व जिला चूरू व खसरा नम्बर 802 / 444 तादादी 2.9087 हैक्टेयर रोही ग्राम ऊंटवालिया [illegible] नी की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि है।

कृषि भूमि पर वादिनी [illegible] री की भूमि पर वादीनी का कब्जा, काश्त चला आ रहा है जिसके प्रमाण [illegible] जमाबन्दी सम्वत् 20[illegible]3 व 2071—2074 की प्रमाणित प्रतिलिपि दावा हाजा के साथ [illegible]त है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2022.10.06 16:05:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

उक्त कृषि भूमि वादीनी नी की दादालाई है। वादीनी नी के पिता सोहनराम का स्वर्गवास होने के बाद उनका पैतृक इन्तकाल मनोहरी के नाम से दर्ज हुआ तथा इस आधार पर गलत दर्ज हो गया जो आज तक वादीनी की खातेदारी व कब्जा काश्त कृषि भूमि गलत ही अंकित चला आ रहा है जिस कारण वादीनी नी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले सकती इसलिए नाम को दुरूस्त करवाने के लिए यह दावा प्रस्तुत किया जा रहा है।

वादीनी के नाम मनोहरी पुत्री सोहनराम का सही व उचित नाम सुनम पुत्री सोहनराम है एवं मनोहरी पुत्र सोहनराम नाम की कोई अन्य सन्तान नहीं है और ना ही ग्राम खांसोली में इस नाम की कोई अन्य महिला है बल्कि वादीनी का असली नाम सुमन पुत्री सोहनराम जाति जाट निवासीनी खांसोली तहसील व जिला चूरू है।

वादीनी के पिता सोहनराम के फौत होने के बाद वादीनी के परिवार में लाड प्यार से कहने के कारण वादीनी का नाम मनोहरी दर्ज हो गया था जबकि वादीनी का सही व वास्तविक नाम मनोहरी के स्थान पर सुमन दर्ज किया जाये।

वादीनी का नाम सुमन पुत्री स्व. सोहनराम पत्नी सुरेन्द्र जाति जाट निवासी ग्राम खांसोली तहसील व जिला चूरू है तथा इसके नाम से आधार कार्ड संख्या 394118964272, जनआधार कार्ड संख्या 4613774322, बैंक पास बुक केनरा बैंक शाखा झुंझुनी, राशन कार्ड 007096000816 व मतदाता पहचान पत्र ZKG / 0817882 आदि वेद्य दस्तावेज बने हुए हैं।

वादीनी नी ने जब हल्का पटवारी से सम्पर्क कर अपने खेत की के.सी.सी. बनाने हेतु सम्पर्क किया तो पता चला कि उसका खातेदारी में नाम गलती से मनोहरी अंकित हो गया है जबकि प्रत्येक दस्तावेज में नाम सुमन है जिसे दुरूस्त कराने के लिए यह दावा प्रस्तुत किया जा रहा है।

वादीनी नी ने प्रतिवादी को कहा व कहलवाया कि वादीनी नी का नाम मूल दस्तावेज के आधार व अनुसार सुमन राजस्व रिकॉर्ड में सही अंकन करवा देवें मगर प्रतिवादी टाल–मटोल करते रहे व आखिरकार दिनांक 25.04.2022 को प्रतिवादी ने ऐसा करने से साफ–साफ इन्कार कर दिया लिहाजा तारीख दिनांक 25.04.2022 से वादकारण तथा वाद–हेतुक वादीनी नी को भूमि मजकूर का खातेदार काश्तकार होने प्राप्त हो गया है।

निवास स्थान फेरीकेन व वादग्रस्त कृषि भूमि जो कि ग्राम खांसोली तहसील व जिला चूरू में स्थित है इसलिए अदालतवाला को दावा के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त है तथा दावा मुकर्रर शुदा कोर्ट फीस पर हर प्रकार से अन्दर मियाद प्रस्तुत है।

अतः वादीनी की ओर से वाद मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीनी का दावा स्वीकार फरमाया जाकर वादीनी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 1147 / 1102 तादादी 3. 4652 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम खांसोली तहसील व जिला चूरू व खसरा नम्बर 802 / 444 तादादी 2.9087 हैक्टेयर रोही ग्राम खांसोली तहसील व जिला चूरू में वादीनी का नाम मनोहरी पुत्र सोहनराम के बजाय सुमन पुत्री सोहनराम दुरूस्त दर्ज फरमाया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में सही नाम का अंकन करने का आदेश प्रदान किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2022.10.06 16:05:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

वादीनी की ओर से प्रस्तुत दावा न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये सम्मन प्रतिवादी की तलबी की गई तथा तहसीलदार चूरू से जांच रिपोर्ट मंगवाई गई प्रतिवादी की ओर से पैरोकार राज ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि जवाब नहीं देना चाहते, जिस पर जवाब बन्द किया जाकर वकील वादीनी को साक्ष्यवादी हेतु कहा गया। वकील वादीनी ने कथन किया कि पत्रावली पर पेश दस्तावेजों को ही साक्ष्यवादी माना जावे, जिस पर साक्ष्यवादी बन्द की गई। वकील वादीनी ने बहस का निवेदन किया जिस पर वकील वादीनी की बहस सुनी गई।

वकील वादीनी ने अपनी बहस में वादपत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए जाहिर किया कि वादीनी के पिता का स्वर्गवास होने के बाद जो विरासतन इन्तकाल दर्ज हुआ उसमें वादीनी का नाम मनोहरी पुत्र सोहनराम दर्ज हो गया है गया जबकि वादीनी का सही व दस्तावेजी नाम सुमन है। राजस्व रिकार्ड में वादीनी का नाम गलत दर्ज होने से उन्हें केसीसी व अन्य राजकीय कार्यों में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए वादीनी ने वादगत कृषि भूमि में अपने गलत दर्ज नाम को दुरूस्त करवाने के लिए यह दावा पेश किया है जिसमें प्रतिवादी ने विरोध में कोई जवाबदावा या साक्ष्य पेश नहीं किये हैं। वादीनी ने अपने दावा के समर्थन में परिवार राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड व जनआधार कार्ड पेश किये हैं जिनसे प्रमाणित होता है कि वादीनी ग का सही नाम सुमन है। अतः दावा वादीनी स्वीकार फरमाया जाकर राजस्व रिकार्ड में वादीनी का नाम उक्त दस्तावेजों के मुताबिक मनोहरी पुत्र सोहनराम के स्थान पर सुमन पुत्री सोहनराम अंकित करने का आदेश फरमाया जावे।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर पत्रावली पर पेश दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन व चिन्तन मनन किया गया। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 व 2071 से 2074 क्रमशः भूमि खसरा नम्बर 1147/1102 तादादी 3.4652 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम खांसोली तहसील व जिला चूरू व खसरा नम्बर 802/444 तादादी 2.9087 हैक्टेयर रोही ग्राम ऊंटवालिया तहसील व जिला चूरू में वादीनी का नाम मनोहरी पुत्र सोहनराम दर्ज है जिसको वादीनी दुरूस्त करवाना चाहता है। इसके नाम से आधार कार्ड संख्या 394118964272, जनआधार कार्ड संख्या 4613774322, बैंक पास बुक केनरा बैंक शाखा झुंझुनी, राशन कार्ड 007096000816 व मतदाता पहचान पत्र ZKG / 0817882 आदि आदि समस्त दस्तावेजों में वादीनी का सही नाम सुमन अंकित है फर्द मौका रिपोर्ट पटवार हल्का खासोली रिपोर्ट पटवारी व तहसीलदार चूरू में भी अंकित किया गया है कि प्रार्थिया का नाम मनोहरी पुत्र सोहनराम था जबकि ससुरामल में सुमन बताया गया है एवं मनोहरी एवं सुमन दोनों एक ही महिला के नाम है। प्रमाण पत्र ग्राम पंचायात सोनासर पंस. अलसीसर (झुंझुनु) में अंकित किया है कि सुमन पत्नी सुरेन्द्र जाति जाट निवासी सोनासर तह. मलसीसर जिला झुंझुनु राज. की निवासी है इनका गांव खासोली तहसील चूरू है जहां के राजस्व रिकॉर्ड में इसका नाम गलती से मनोहरी हो गया इसका सही नाम सुमन है। प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत खासोली पं.स. चूरू में अंकित किया है कि सुमन पत्नी सुरेन्द्र जाति जाट निवासी सोनासर तह. मलसीसर जिला झुंझुनु की निवासी है इसका जन्म स्थान ग्राम खासोली तह. व जिला चूरू है जहां के राजस्व रिकॉर्ड में इसका नाम मनोहरी हो गया है जिनका वास्तविक नाम सुमन है। दावा में राज्य सरकार को जरिये तहसीलदार, चूरू प्रतिवादी पक्षकार बनाया है जिन्होंने दावा के विरोध में न तो जवाबदावा पेश पेश न कर जांच रिपोर्ट में वादीनी का मनोहरी के स्थान पर सुमन करना बताया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2022.10.06 16:05:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

पत्रावली एवं पेश दस्तावेजों के परिशीलन से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि वादगत कृषि भूमि खसरा नम्बर 1147/1102 तादादी 3.4652 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम खांसोली तहसील व जिला चूरू व खसरा नम्बर 802/444 तादादी 2.9087 हैक्टेयर रोही ग्राम ऊंटवालिया तहसील व जिला चूरू में वादीनी का गलत नाम मनोहरी अंकित चला आ रहा है जिसको वादीनी दुरूस्त करवाना चाहत है। वादीनी ने अपने दावा के समर्थन में अपने परिवार के राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, बैंकपासबुक आदि की प्रतियां पेश की हैं जिनमें वादीनी का नाम सुमन अंकित है । राजस्व रिकार्ड एवं दस्तावेजों में दर्ज नाम में भिन्नता होने से वादीनी को कठिनाई होना प्रत्यक्ष है। वादीनी वादगत कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार हैं इसलिए उन्हें राजस्व रिकार्ड में अपने गलत दर्ज नामों को अपने दस्तावेजों के अनुरूप दुरूस्त करवाने का अधिकार है। वादीनी द्वारा पेश दस्तावेजों से वादीनी का दावा वादीनी के पक्ष में प्रमाणित होता है। इस प्रकार दावा वादीनी स्वीकार करने योग्य है।

अतः दावा वादीनी अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. प्रस्तुत दस्तावेजात, फर्द मौका रिपोर्ट पटवार हल्का खासोली, रिपोर्ट पटवारी पटवार हल्का खासोली, प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत सोनासर पं.स. अलसीसर जिला झुंझुनु, प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत खासोली पं.स. चूरू, रिपोर्ट तहसीलदार चूरू के आधार पर स्वीकार किया जाकर खसरा नम्बर 1147/1102 तादादी 3.4652 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम खांसोली तहसील व जिला चूरू व खसरा नम्बर 802/444 तादादी 2.9087 हैक्टेयर रोही ग्राम ऊंटवालिया तहसील व जिला चूरू की जमाबंदी में वादीनी का नाम मनोहरी पुत्री सोहनराम के स्थान पर सुमन पुत्री सोहनराम किये जाने की घोषणा की जाती है। वादीनी के खिलाफ किसी प्रकार का आपराधिक प्रकरण दर्ज होने व सरकारी बकाया की स्थिति में पूर्व नाम ही मान्य होगा। वादीनी ने नाम दुरुस्ती में किसी प्रकार का कोई तथ्य छुपाया है तो इसके वादीनी स्वयं जिम्मेवार होगी। यदि उक्त वादगत भूमि पर किसी न्यायालय द्वारा कोई स्थगन नहीं है तो तहसीलदार चूरू उक्तानुसार राजस्व अभिलेखस में अमल दरामद करें। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 21.09.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर,
चूरू

उपखण्ड अधिकारी चूरू

उप खण्ड अधिकारी चूरू (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2022.10.06 16:05:52 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
(CIVIL PROCEDURE CODE, APPENDIX "D"-1)

अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, मुकाम चूरू

इजलास : श्री सत्यरारायण आर0ए0एस0

1. सुमन पुत्री स्वर्गीय सोहनराम पत्नी सुरेन्द्र जाति जाट निवासीनी ग्राम खांसोली तहसील व जिला चूरू हाल निवासीनी वार्ड नं. 03 सोनासर तहसील मलसीसर जिला झुंझुनु (राज.)

–वादीनी –

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चूरू

–प्रतिवादी –

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए.
मुकदमा नं. 62 सन् 2022

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिलाल कतई रूबरू हमारे हाजरी श्री पवनसिंह शेखावत एवं श्री योगेश शर्मा एडवोकेट वादीनी गण, मिनजानिब मुदईब एवं पैरोकार राज प्रतिवादीनी मिनजानिब मुदाएलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:–

दावा वादीनी अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. प्रस्तुत दस्तावेजात, फर्द मौका रिपोर्ट पटवार हल्का खासोली, रिपोर्ट पटवारी पटवार हल्का खासोली, प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत सोनासर पं.स. अलसीसर जिला झुंझुनु, प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत खासोली पं.स. चूरू, रिपोर्ट तहसीलदार चूरू के आधार पर स्वीकार किया जाकर खसरा नम्बर 1147/1102 तादादी 3.4652 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम खांसोली तहसील व जिला चूरू व खसरा नम्बर 802/444 तादादी 2.9087 हैक्टेयर रोही ग्राम ऊंटवालिया तहसील व जिला चूरू की जमाबंदी में वादीनी का नाम मनोहरी पुत्र सोहनराम के स्थान पर सुमन पुत्री सोहनराम किये जाने की घोषणा की जाती है। वादीनी के खिलाफ किसी प्रकार का आपराधिक प्रकरण दर्ज होने व सरकारी बकाया की स्थिति में पूर्व नाम ही मान्य होगा। वादीनी में नाम दुरूस्ती में किसी प्रकार का कोई तथ्य छुपाया है तो इसके वादीनी स्वयं जिम्मेवार होगी। यदि उक्त वादगत भूमि पर किसी न्यायालय द्वारा कोई स्थगन नहीं है तो तहसीलदार चूरू उक्तानुसार राजस्व अभिलेखस में अमल दरामद करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

यह डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 21 माह सितम्बर सन् 2022 को जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2022.10.06 16:05:52 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर,
चूरू